झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/ छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 80/2016

विज्ञप्ति संख्या–75/2016 के क्रम में एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के सत्र 2015–17 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 में सम्मिलित होने वाले नियमित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि:–

- पंजीयन संबंधी सभी महाविद्यालय को उपलब्ध कराये चेकलिस्ट के आधार पर पंजीयन में त्रुटि संशोधन हेतु पंजीयन संबंधी सभी डाटा On-line किया जा रहा है। छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक तथा महाविद्यालय प्रधान परिषद् के वेबसाइट **www.jac.nic.in** अथवा **www.jac.jharkhand.gov.in** में उपलब्ध Registration window के माध्यम से अपने पंजीयन से संबंधित विवरणी का अवलोकन करने के पश्चात् यदि कोई त्रुटि पाते है तो अपने महाविद्यालय से तत्क्षण सम्पर्क पर महाविद्यालय को उपलब्ध कराये गये चेकलिस्ट में वांछित संशोधन करा सकते हैं।
- **संशोधन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश:-**

  इस प्रक्रिया के तहत छात्र परिषद् के वेबसाइट **www.jac.nic.in** अथवा **www.jac.jharkhand.gov.in** पर उपलब्ध **Intermediate Examination Registration-2017 "check your details"** पर क्लिक करेंगे, जिसके उपरान्त पंजीयन संबंधी एक Window खुलेगा। छात्र Student Login के अन्तर्गत छात्र अपने जिला कोड, महाविद्यालय का नाम, जन्मतिथि एवं नाम भरकर अपना पंजीयन विवरणी दिनांक 25.11.2016 से 01.12.2016 तक देख सकते हैं। अगर वे अपने पंजीयन विवरणी में कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो पंजीयन विवरणी का प्रिन्ट निकाल कर आवश्यक संशोधन करते हुए महाविद्यालय प्रधान को हस्तगत करायेंगे। महाविद्यालय प्रधान छात्र द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीयन विवरणी के आलोक में परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये चेकलिस्ट में संशोधन करेंगे।
- दिनांक 03.12.2016 को उक्त चेकलिस्ट परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय प्रधान/छात्र–छात्रा/अभिभावक पंजीयन संबंधी विवरणी या उसके संशोधन में किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 0651–2261183 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

  इसे अति आवश्यक समझा जाए।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(रजनीकान्त वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/गो./19644/12/SECY/447/16
Dt. 24.11.2016
D.O.P : 25.11.2016